[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, तारीख 30 अप्रैल, 2015

अधिसूचना
सं0 29/2015-सीमा शुल्क

सा0का0नि0 (अ)- केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 39/96 सीमा शुल्क, तारीख 23 जुलाई, 1996 में, जो भारत के राजपत्र में सा.का. नि. 291(अ), तारीख 23 जुलाई, 1996, प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,

(क) सारणी में,

(i) क्रम सं0 9 के सामने स्तंभ (3) में, "या उस सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति" और "या उस सरकार के किसी विभाग के आदेश पर लदाई की जाए और लदाई के समय ऐसे आदेश पर विनियोजित किया जाए " शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ii) क्रम सं0 9 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम सं0 और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

9क	तटरक्षक पोतों के निर्माण या उनमें लगाने के लिए अपेक्षित निम्नलिखित माल- (i) मशीनरी, उपस्कर, संघटक और कच्ची सामग्री; (i) अतिरिक्त पुर्जे और अनुरक्षण के लिए जांच उपस्कर, आयातित उपस्कर की जांच और टयूनिंग के लिए जांच उपस्कर; (i) भारतीय प्रदायकों द्वारा तटरक्षक को प्रदाय के लिए देसी उपस्कर के विनिर्माण के लिए अपेक्षित पुर्जे ।	यदि भारत सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा आयात किया जाए या उस सरार के किसी विभाग के आदेश पर लदाई की जाए और लदाई के समय ऐसे आदेश पर विनियोजित किया जाए ।

(iii) क्रम सं0 10 के सामने स्तंभ (3) की प्रविष्टि में, "यदि उक्त माल भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा आयात किए जाते हैं" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;

(iv) क्रम सं0 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम सं0 और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

10क	(i) वायुयान, वायुयान के पुर्जे , वायुयान इंजन और वायुयान इंजन के पुर्जे; (ii) उत्पादन औजार जिनके अंतर्गत जिग्स, औजार, जुड़नार औजार और गेज, भूमि आधार उपस्कर, परीक्षण, मापन उपस्कर वैज्ञानिक और तकनीकी उपकरण हैं, साधित्र और उपस्कर जिनके अंतर्गत अतिरिक्त पूर्जे और उनके संघटक हैं, खपने वाली सामग्री ; (iii) आयुध, गोलाबारूद और सेना भण्डार ; (iv) ऐसे औजार और गेज, जो केवल सेवा उपयोग के गोलाबारूद और विस्फोटों के साथ उपयोग के लिए हैं, गोला बारूद रसायन, विद्युत अधिस्फोटक ; अग्नि निदेश और अग्नि नियंत्रण उपकरण, जैसे परासमापी, प्राग्यक्ता, कठवत, कंप्यूटर, साइट डायल, संकेत उपस्कर, जिसके अंतर्गत बेतार उपस्कर और उसके संघटक पुर्जे हैं, जिनका अनन्य रूप से रक्षा सेवा द्वारा उपयोग किए जाते हैं, सेवा उपयोग के लिए राडारों के लिए परीक्षण उपस्कर , सेना सेतु भंडार और उपस्कर, एएसडीआईसी और ईको ध्वनि उपस्कर , वायुसेना के उपयोग के लिए विशेषीकृत कैमरा , माइन प्रसर्प गियर पैराशूट । (v) राडार, टारपीडो, सोनार सेट, माइन लेयिंग गियर, डुबकी उपस्कर और उसके पुर्जे, उपसाधन जिग्स, औजार, परीक्षण उपस्कर और संघटक; (vi) अतिरिक्त पूर्जे, उपसाधन जिग्स, औजार परीक्षण उपस्कर, संघटक विशेष कच्ची सामग्री और रक्षा सेवा के लिए विशिष्ट बख्तरबंद और विशिष्ट यानों के लिए तैयार संघटकों को प्रसंस्कृत	यदि- (क) उक्त माल भारत सरकार के ठेकेदारों,केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों के पब्लिक सेक्टर उपक्रमों और ऐसे पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के उपठेकेदारों द्वारा आयात किए जाते हैं; और (ख) ऊपर निर्दिष्ट ठेकेदारों या उपठेकेदारों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों द्वारा आयात की दशा में, आयातकर्ता , आयात के समय यह दर्शित करते हुए, एक शुल्क छूट प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है:- (1) रक्षा मंत्रालय या गृह मंत्रालय जैसी भी स्थिति हो, द्वारा ठेकेदारों या उपठेकेदारों को दिए गए क्रय आदेश के ब्यौरे और उक्त आदेश को निष्पादित करने के लिए आयात किए जाने के लिए अपेक्षित मदों की मात्रा; और (2) ऊपर निर्दिष्ट ठेकेदारों या उपठेकेदारों द्वारा उनके विदेशी प्रदायकों को दिए गए क्रय आदेश के मदों के वर्णन और उसकी मात्रा उपदर्शित करते हुए ब्यौरे । स्पष्टीकरण:- (i) भारत सरकार के ऐसे ठेकेदारों द्वारा, जो रक्षा मंत्रालय के अधीन अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं या स्थापनों के ठेकेदार हैं, आयात की दशा में, प्रमाण पत्र पर उक्त प्रयोगशालाओं या स्थापना के संसाधन प्रधान द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे; (ii) रक्षा मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय सरकार

	करने के लिए अर्द्धनिर्मित वस्तुएं, जैसे इस्पात की गढ़ी और ढली वस्तुएं ; (vii) नियंत्रित शस्त्र और उनके उपसाधन । (viii) संघटक अतिरिक्त पूर्जे, जिग्स, फिक्सचर, औजार, डाई, सांचा और नियंत्रित शस्त्र और उनके उपसाधनों के विनिर्माण और परीक्षण के लिए अपेक्षित परीक्षण उपस्कर; (ix) नियंत्रित शस्त्र और उनके उपसाधनों के लिए अपेक्षित कच्ची सामग्री और विशेष सामग्री; (x) शैल ड्रिल और खंडित्र; (xi) नियंत्रित शस्त्रों और उनके उपसाधनों के लिए भूमि आलंब उपस्कर, सभी प्रकार के ।	के पब्लिक सेक्टर उपक्रमों द्वारा आयात की दशा में, प्रमाणपत्र पर ऐसे उपक्रम के कार्यकारी निदेशक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे; और (iii) अन्य दशाओं में, प्रमाण पत्र पर किसी ऐसे अधिकारी द्वारा जो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय या गृह मंत्रालय में जैसी भी स्थिति हो, संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो, हस्ताक्षर किए जाएंगे ।

(ख) पैराग्राफ 2 के पश्चात मद (viii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित मदें और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्-

(ix) उपर्युक्त तालिका के क्रम सं0 7, 9क, 10क, 18, 21, 23, 26, 27, 28 और 36 के अंतर्गत आने वाली सभी वस्तुएं ।

2. यह अधिसूचना 1 जून, 2015 से प्रभावी होगी ।

(फा.सं.334/5/2015-टीआरयू)

(अक्षय जोशी)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पणी: मूल अधिसूचना सं0 39/96-सीमा शुल्क, तारीख 23 जुलाई, 1996, सा.का.नि. 291 (अ), तारीख 23 जुलाई, 1996 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 26/2015-सीमा शुल्क, तारीख 9 अप्रैल, 2015 सा.का.नि. 276(अ), तारीख 9 अप्रैल, 2015 द्वारा किया गया था ।